बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 03/02–भू0अ0नि0(प0चम्पारण)आरोप–14/2023 1178 पटना, दिनांक :– 24/07/2025

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, प0चम्पारण(बेतिया) के पत्रांक 549 दिनांक 18.10.2024 द्वारा श्री अनूप कुमार राम, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00385) के विरूद्ध दिनांक 24.06.2024 से लगातार अनुपस्थित रहने, पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाब नहीं देने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही यह भी प्रतिवेदन दिया गया है कि श्री कुमार दिनांक 04.09.2024 को योगदान करने के उपरांत पुनः अनुपस्थित हैं एवं इस संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाब भी इनके द्वारा नहीं दिया गया है, जिससे इन्हें आवंटित राजस्व ग्राम का कार्य बाधित है। फलस्वरूप कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में निदेशालय पत्रांक 14557 दिनांक 12.12.2024 द्वारा श्री राम से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के विरूद्ध 07 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा समाप्ति समाप्ति संबंधी एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा 06 माह व्यतीत होने के बाद भी अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं R2R सॉफ्टवेयर अन्तर्गत संधारित इनकी उपस्थिति विवरणी एवं अमीन डायरी का अवलोकन किया गया है। अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री राम द्वारा 549 दिनों में मात्र 154 दिन ही अपनी उपस्थिति दर्ज की गयी है एवं इनके द्वारा दिनांक 19.10.2023 के बाद अमीन डायरी की प्रविष्टि भी नहीं की गयी है। स्पष्ट है कि इनकी उपस्थिति कार्यालय में नियमित नहीं है एवं इनके द्वारा अमीन डायरी भी पिछले डेढ़ वर्षो से नहीं भरा गया है, जो विशेष सर्वेक्षण अमीनों द्वारा प्रतिदिन भरा जाना है। इस संबंध में इन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए बंदोबस्त/निदेशालय स्तर पर स्पष्टीकरण की मांग भी की गयी है, जो इनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया है, इस तरह का कृत्य इनके मनमानेपन, स्वच्छेचारिता, अनुशासनहीनता, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं कार्यो में लापरवाही का द्योतक है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है, निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी अवगत हैं, इसके बावजूद भी श्री राम लम्बी अवधि से अनुपस्थित हैं एवं इनके द्वारा स्पष्टीकरण का जबाब भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण इन्हें आवंटित शिविर का कार्य बाधित हुआ है। ऐसे संविदा कर्मी के रहते निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता है एवं इसका प्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इन्हें संविदा में बनाए रखना उचित नहीं होगा।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 के नियम–8(4) के तहत श्री अनुप कुमार राम, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00385) का संविदा नियोजन इनकी अनुपस्थिति तिथि दिनांक 24.06.2024 से समाप्त किया जाता है।

22/7

(जे0 प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0(प0चम्पारण)आरोप–14 / 2023 4178 **पटना, दिनांक** :– 24/07/2025

प्रतिलिपि :– श्री अनुप कुमार राम, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00385), बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ प्रेषित।

22/7

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0(प0चम्पारण)आरोप–14 / 2023 4178 **पटना, दिनांक** :– 24/07/2025

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/7

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0(प0चम्पारण)आरोप–14 / 2023 4178 **पटना, दिनांक** :– 24/07/2025

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्राम, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/7

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप